संख्या-ई-8-667 /दस-06-89/2004

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 06 जून,2006

विषयः- शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-303/दस-06-89/2004 दिनांक 02 मार्च, 2006 में मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 10.00 करोड़ तक की लागत के तथा गैर मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 2.50 करोड़ तक की लागत के **भवन निर्माण कार्य** किसी राजकीय निर्माण एजेन्सी से **निक्षेप कार्य के रूप में** कराये जाने की व्यवस्था है। कतिपय विभागों के द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सी क्या होगी स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि परम्परागत रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश सेतु निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन ही राजकीय निर्माण एजेंसी के रूप में भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप कार्य के रूप में करती रही हैं। इन्हें ही राजकीय निर्माण एजेंसियों के रूप में माना जाएगा।

यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि यह शासनादेश भवन निर्माण संबंधी कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में कराए जाने हेतु व्यवस्था से संबंधित है। अपने स्वकीय विभागीय कार्य जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न निर्माण इकाइयां कर रही है, वे निर्माण इकाइयां इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगी।

यदि कोई अन्य निर्माण एजेन्सी अपने आपको भवन निर्माण कार्य निक्षेप कार्य के रूप में करने हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में सम्मिलित कराना चाहती है तो राजकीय निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु निम्नवत् तकनीकी समिति का गठन किया जाता हैः-

(1) प्रमुख सचिव वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सचिव स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
(2) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य
(3) मुख्य अभियन्ता भवन लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(4) चीफ आर्कीटेक्ट, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(5) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य

इस हेतु संबंधित एजेन्सी को अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त समिति चयनित की जाने वाली एजेन्सी की जनशक्ति (स्टाफ), तकनीकी क्षमता (टेक्नीकल स्किल), टर्न ओवर, मशीने तथा उपकरण कार्य करने का अनुभव आदि के आधार पर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तदुपरान्त मुख्य सचिव/मा. मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से संबंधित एजेन्सी को इस प्रयोजन हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी घोषित किया जा सकेगा।

भवदीय,

नवीन चन्द्र बाजपेई
मुख्य सचिव

संख्याः ई-8-667 (1)/दस-2006-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लि0।
7. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
विशेष सचिव।